UPGK010005712024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

आपराधिक निगरानी संख्या- 86/2024

लालबहादुर ----- बनाम ----- उ०प्र०राज्य एवं तीन अन्य

दिनांक 10.03.2026

पत्रावली पेश हुई। बारम्बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। विगत तिथियों पर भी निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश का सम्यक का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक निगरानी विद्वान अपर सिविल जज (सी०डि०) द्वितीय/ अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या- 2260/2023, अंतर्गत धारा- 156(3) दं०प्र०सं०, लालबहादुर बनाम रामसूरत सिंह वगैरह के मामले में पारित आदेश दिनांकित 25.10.2023 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके अनुसार निगरानीकर्ता का उपरोक्त प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।

आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों का सम्यक अवलोकन कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश विधि अनुकूल एवं तथ्यसंगत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत आपराधिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

तद्नुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अपर सिविल जज (सी०डि०) द्वितीय/ अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या- 2260/2023, अंतर्गत धारा- 156(3) दं०प्र०सं०, लालबहादुर बनाम रामसूरत सिंह वगैरह के मामले में पारित आदेश दिनांकित 25.10.2023 पुष्ट किया जाता है।

दिनांक-10.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.03.10 16:40:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court